बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

255

कार्यालय आदेश संख्या -प्र011/पथ संधारण-10-01/2014 /पटना, दिनांक:- 10/9/15

OPRMC विधि से संधारित किए जा रहे पथों से संबंधित प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों, निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं विभिन्न समीक्षाओं से यह परिलक्षित हो रहा है कि OPRMC संविदा के प्रावधानों के अनुरूप पथ के लिए विहित सभी सेवा स्तर (Service level) बनाए रखने में कतिपय संवेदकों द्वारा कोताही बरती जा रही है। निर्धारित Response Time में पथ को न तो विहित सेवा स्तर पर लाया जाता है और न ही Hazardous बन चुके खामियों को तत्काल उनके द्वारा दूर किया जाता है।

2. OPRMC विधि से संधारित किये जा रहें पथों के लिये एकरारनामा (MBD) में विहित सभी मदों का कार्य ससमय गुणवत्तापूर्वक कराना आवश्यक होता है। इस एकरारनामा प्रारूप के तहत संवेदक की जिम्मेवारी अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि यह Performance based कार्य है और निर्धारित service level पर road user को सुविधा उपलब्ध कराया जाना है । Ordinary Maintenance (OM) के अधीन किये जाने वाली सभी उपमदों को चिन्हित किया गया है तथा service level maintenance रखने के लिए Response Time के अधीन खामियों को दूर करने की व्यवस्था विहित है। संविदा प्रारूप के Section-V, Part-A के Chapter A1 की कंडिका-4 में यह भी प्रावधानित है कि "The service levels are defined from a road user's perspective and may include factors such as average travel speeds, riding comfort, safety features etc." स्पष्ट है कि OM के अधीन विहित मदों को तय सीमा के अन्तर्गत निष्पादित करते हुए सड़क संरचना को इस तरह संधारित किया जाना है कि Hazard की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. Service level maintain नहीं करने अथवा पथों में Hazardous स्थिति उत्पन्न हो जाने की स्थिति में संविदा के अन्तर्गत मात्र राशि की कटौती किया जाना पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि इससे ORPMC के मौलिक उद्देश्य की प्रतिर्पूति नही हो पाती है एवं पथ प्रयोक्ता

(road user) को यथेष्ठ सेवा स्तर उपलब्ध नहीं हो पाता है । फलस्वरूप road user के Safety तथा vehicle operation cost पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्पष्टत: OPRMC संवेदक के उक्त कार्यकलाप poor performance की श्रेणी में है तथा सरकार की छवि धूमिल होने की सम्भावना रहती है ।

4. SBD के Clause 4.8 एवं CMBD के Clause 4.7 में निम्न प्रावधान है ।

"Even though the bidders meet the above qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have :

4.1 made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the qualification requirements; and/or

4.2 have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc; and/or

4.3 participated in the previous bidding for the same work and had quoted unreasonably high bid prices and could not furnish rational justification to the employer.

5. इसी प्रकार MBD के section III (evaluation & qualification criteria) नोट 1 में निम्न प्रावधान है :-

Enven though the bidders meet the above qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have:

- made misleading or false representations in the forms, statements and attachments uploaded in proof of the qualification requirements; and /or
- record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the Contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc.;

C:\Users\rcd\Desktop\Noting Letter.docx

पूर्व से आवंटित कार्य की प्रगति धीमी रहने की स्थिति में निविदाकार को अगली कार्यों में भाग लेने से डिवार करने के संबंध में विभागीय आदेश-सह-पठित-ज्ञापांक - प्र06/द0बि0 नियम 03-02/2004-2131 (एस) दिनांक 13.03.2009 निर्गत है । इसी क्रम में विभागीय ज्ञापांक - 4898 (एस) दिनांक 01.06.2015 द्वारा कार्यालय आदेश संख्या - 138 दिनांक 01.06.2015 भी निर्गत है ।

6. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संवेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित यानि debar किये जाने के संबंध में विभागीय आदेश-सह-पठित-ज्ञापांक प्र06/द0बि0 नियम 03-02/2004 - 2131 (एस) दिनांक 13.03.2009 एवं विभागीय ज्ञापांक - 4898 (एस) दिनांक 01.06.2015 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या - 138 दिनांक 01.06.2015 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में निम्न अतिरिक्त प्रावधान किये जाते हैं :-

6.1 OPRMC संविदा प्रणाली में OM के अधीन विहित standard job description के अन्तर्गत उत्पन्न् खामियों को दूर करने के लिये विहित एवं निर्धारित Response Time के अधीन OPRMC संवेदक द्वारा खामियों को दूर नहीं करने की स्थिति में MBD (एकरारनामा) में प्रावधानों के तहत किये जाने वाले कार्रवाईयों के अतिरिक्त संवेदक को उक्त खामियों को दूर करने के लिये नोटिस दिया जायेगा। संवेदक को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर खामियों को दूर कर संरचना को विहित Service Level में नही लाये जाने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता द्वारा निम्न कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा :-

6.1.1 पथों एवं संबंधित अन्य संरचनाओं में उभरे खामियों को दूर करने के लिए आकस्मिकता कार्य के लिए विहित प्रावधानों के अनुरूप अधीक्षण अभियंता से अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित करते हुए कार्य सम्पादित किया जाएगा ।

6.1.2 उक्त कंडिका 6.1.1 हेतु आवश्यक राशि की मॉग अलग से अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता के माध्यम से की जाय । राशि की माँग करते समय OPRMC कार्य का पैकेज संख्या, एकरारनामा संख्या, एकरारनामा की राशि, संवेदक का नाम, कार्य हेतु आवश्यक राशि की आवश्यकता की सूचना अवश्य दी जाए । इस कार्य हेतु अलग से आवंटित राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जाएगा ।

6.1.3 विभागीय छवि धूमिल करने, road user को वांछित सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहने तथा संधारण पर हुए व्यय के एवज में वास्तविक व्यय का तीन गुणा राशि OPRMC संवेदक को भुगतेय राशि / performance security से वसूली किया जाएगा ।

6.1.4 OPRMC संवेदक के कृत्य को poor performance माना जायेगा और SBD, CMBD की कंडिका 3.3 एवं 4.8/4.7 तथा MBD की कंडिका section III नोट (यथा अंकित उक्त कंडिका-5) के तहत अगली किसी भी निविदा में इन्हें भाग लेने से वंचित करने हेतु डिबार संबंधित आदेश कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6.1.5 इस कृत्य को संविदा के शर्तों के उल्लंघन के साथ साथ कंडिका- 42.1 (a), (b) तथा 43.1 के अन्तर्गत Criminal Negligence तथा willful mis-conduct के अन्तर्गत Liable माना जायेगा । इस संबंध में संवेदक के विरूद्ध संविदा के तहत अन्य कार्रवाई के साथ साथ विभागीय आदेश के अन्तर्गत दोषी मानते हुए भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से Debar के अतिरिक्त अन्य कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा ।

6.2 संवेदक को डिबार करने संबंधित विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों के अधीन डिबार्ड संवेदकों के विरूद्ध की जाने वाली अन्य उत्तरवर्ती कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायेगी ।

10.9.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- 8678 (S) /पटना, दिनांक- 10/9/15

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग/ मुख्य अभियंता (या0), दक्षिण बिहार उपभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल/ सभी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल/ अभियंता प्रमुख-सह- अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव के सचिव (प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.9.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\cd\Desktop\Noting Letter.docx

ज्ञापांक:- 8678(1) /पटना, दिनांक- 10/9/15

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

10.9.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 8678(1) /पटना, दिनांक- 10/9/15

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

10.9.2015

(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।